

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

अजय प्राइवेट आईटीआई,
कामां जिला- भरतपुर,
राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को अजय प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000906)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

G.I.M.T. निजी आईटीआई,
1, एकता विहार, जिला- भरतपुर,
राजस्थान- 321001

विषय: आईटीआई के ट्रेडो/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कार्र्ण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को G.I.M.T. निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000144)



(रवि चिलुकोटी)

सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री राजीव गांधी निजी आईटीआई,
नदबई रोड हलेना वीर
जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321601

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री राजीव गांधी निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एमिस कोड- PR08000423)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

देशराज प्राइवेट आईटीआई,
नियर पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल मार्केट के सामने,
जमात निवाई जिला- टोंक, राजस्थान- 304021

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को देशराज प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000609)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सिंहजी प्राइवेट आईटीआई,
मारवाड़, मुंडवा,
जिला- नागौर, राजस्थान- 341026

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सिंहजी प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001152)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

भारती निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
रोड नंबर 7, अनंतपुरा
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई वे: ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को भारती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000323)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilkoti@gov.in

D.O. D. 1/20/2020-6/5000000-1/2/

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

डॉ राधा कृष्ण निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय सकतपुरा के पास
जिला कोटा, राजस्थान- 324008**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को डॉ राधा कृष्ण प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000011)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Deff - 0-044/26/2020 - 0/abir (FC) - Hoj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जी.एल. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
54, पुराना जवाहर नगर कोटा
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जी.एल. प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08000477)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जायसवाल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
प्लॉट नंबर 12, रीको इंस्टीट्यूशनल एरिया,
रानपुर, तहसील लाडपुराजिला भीलवाड़ा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जायसवाल प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000263)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल:- ravi.chilukoti@gov.in

Date- 04/06/2020 - e/0011111-10/ स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जवाहर लाल नेहरू निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जोलपा रोड, तहसील सांगोद
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जवाहर लाल नेहरू प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001242)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

दून एपेक्स विजन (Dav) प्राइवेट आईटीआई,
वार्ड नं- 41, बिजली कॉलोनी रोड, सेक्टर 6, हनुमानगढ़,
जिला- हनुमानगढ़, राजस्थान- 335512

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को दून एपेक्स विजन (Dav) प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08001627)



(रवि चिलुकोटी)

सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

ऋषि गालव प्राइवेट आईटीआई,
मिडवे जी टी रोड के पीछे
जिला- धौलपुर, राजस्थान- 328001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को ऋषि गालव प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001078)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

धौलपुर प्राइवेट आईटीआई, धौलपुर,
जिला- धौलपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को धौलपुर प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान तथा स्थान नहीं पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08000910)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 24.06.2020

सेवा में,

Sarthak Pahal Private ITI
Li B 28 & Li B 3, Madan
Vihar, Near Sai Aba
Temple, Shiv Bari,
Bikaner- 334001, Rajasthan

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को Sarthak Pahal प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (10.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000763)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री आर.एन. निजी आईटीआई,
सालासर, सुजानगढ़,
जिला- चूरु, राजस्थान- 331506

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री आर.एन. निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000209)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

आरआर प्राइवेट आईटीआई,
महवा रोड, माचाड़ी, तेह- राजगढ़,
जिला- अलवर, राजस्थान- 301408

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को आरआर प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000839)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

स्वामी केशवानंद प्राइवेट आईटीआई,
राजपूत कॉलोनी, लक्ष्मणगढ़,
जिला- अलवर, राजस्थान- 321607

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को स्वामी केशवानंद प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000458)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

नारायण गुरु प्राइवेट आईटीआई,
ज्ञानविद बोस, झाड़ू रोड, कोलायत
जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334302

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को नारायण गुरु प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001716)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Jaitsar Private ITI,
Plot No.-1 Industrial Area
InFront Elc Office Jaitsar
Dist. Ganganagar, Rajasthan

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को Jaitsar Private ITI में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000172)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री एम.एस. निजी आईटीआई,
ताल मैदान, सरदारशहर
जिला- चूरु, राजस्थान- 331403

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री एम.एस. निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय **समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001691)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

शारदा प्राइवेट आईटीआई,
सोडावास, तेह- मुंडावर,
जिला- अलवर, राजस्थान- 301427

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को शारदा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एमिस कोड- PR08000046)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

अरावली प्राइवेट आईटीआई,
खवासिका बाग राजगढ़, पोस्ट करोथ राजगढ़,
जिला- अलवर, राजस्थान- 301408

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को अरावली प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000032)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

ढोला पलाश प्राइवेट आईटीआई,

ग्रामीण- ढोला पलाश,

जिला- अलवर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को ढोला पलाश प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000146)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

गीता ज्योति प्राइवेट आईटीआई,
36, मोड केंचिया पी.ओ.-कोठे वाली
तह.-पिलीबांगा से गोलूवाला,
जिला- हनुमानगढ़, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को गीता ज्योति प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000705)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

आदर्श प्राइवेट आईटीआई,
प्लॉट नंबर 239, गांधी नगर
स्कीम नंबर 8 अरावली विहार,
जिला- अलवर, राजस्थान- 301008

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को आदर्श प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000433)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

ई-ज्ञान प्राइवेट आईटीआई,
बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास,
आशीष सिनेमा टाउन रोड के पास,
जिला- हनुमानगढ़, राजस्थान- 335512

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को ई-ज्ञान प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001036)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सूर्योदय प्राइवेट आईटीआई,
सिविल लाइंस, गंगानगर बाई पास,
जिला- हनुमानगढ़, राजस्थान- 335512

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सूर्योदय प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001700)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जैन रतन प्राइवेट आईटीआई,

जैन रतन

जिला- करौली, राजस्थान,

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जैन रतन प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000120)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chiluakoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

एस.आर. निजी आईटीआई,
विले:- महु, तेह:- हिंडौन शहर,
जिला- करौली, राजस्थान- 322254

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को एस.आर. निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000466)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

1547-Deff/28/2020-4/0 DIR (T) Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मां सरस्वती प्राइवेट आईटीआई,
खसरा नंबर 890/335, भार्या रेनवाल रोड, जोबनेर,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 303328**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मां सरस्वती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान ने निरीक्षण करवाने से मना किया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001528)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Dkt - Dny 126/2020-0/ODIR(70)-Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

महाराणा प्रताप प्राइवेट आईटीआई
भोपालसगार चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को महाराणा प्रताप प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000907)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

0615 Daff (26/06/2020 - 01/07/2020) - Reg.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

राधा कृष्ण प्राइवेट आई.टी.आई
चित्तौड़गढ़ मेन रोड, बेगून
जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।
महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को राधा कृष्ण प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000484)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

0351-20001/20/2020-0/0018(10)-Paj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Advance Private ITI
District Rajsamand Rajasthan

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को Advance प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000148)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Date: 04/06/2020-0/001P (T.C)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Ranthambour Private ITI
NH-8, Near S.M.B. College,
Nathadwara, P.S. Khamnor
District Rajsamand Rajasthan- 313301**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को रणथंभौर प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001088)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilkoti@gov.in

DBT D.O. 10/06/2020 (10/06/2020) - Ray

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री राधा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
प्लॉट नंबर 11, गजान पुरा,
बरन, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री राधा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000546)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री कृष्ण निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
वन विभाग के सामने, कोटा रोड
बरन, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री कृष्ण प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000691)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

D&T - 0-48 / 26/2020 - 4/0 DIRECTOR - Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

संस्कार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
रेलवे फाटक तलेरा रोड, ईश्वर नगर केशोरै पाटन के पास
बूंदी, राजस्थान -323602**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को संस्कार प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001185)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilkoti@gov.in

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

यूनिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
गुरुनानक कॉलोनी, केंद्रीय सहकारी बैंक बायपास रोड के पीछे
बूंदी, राजस्थान - 323001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को यूनिक प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08001347)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

Debar-0 yf/26/070

स्पीड पोस्ट द्वारा

5/6 DMR (7c) - Raj

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

महाराजा इंद्रजीत सिंह निजी औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान पृथ्वी विलास पैलेस दरबार की कोठी,
तहसील झालरापाटन झालावाड़, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को महाराजा इंद्रजीत सिंह प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान यथा स्थान नहीं पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000368)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

न्यू राजस्थान निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अटरू रोड, खानपुर
झालावाड़, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को न्यू राजस्थान प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000800)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@nic.in

Distt - De.aff/26/2020 - 6/ANR (T) Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

राजस्थान निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
मिनी सचिवालय मामा भांजा सर्कल के पीछे प्लॉट नंबर -17
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान-326001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को राजस्थान प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान यथा स्थान नहीं पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001201)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DOT D 11/26/2020 - 6/01/2020 - Raj.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

गुरुकुल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
पुराने पुलिस स्टेशन अकलेरा के सामने,
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000370)


(रवि चिलुकोटी)

सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

दिनांक - 04/06/2020 - 0/0DIR(7C) - Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

साईनाथ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अकलेरा, झालावाड़
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान- 326033**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को साईनाथ प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड़ जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000364)


26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

Dmt 0.04/126/2020-0/DIR(70)-Raj

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री राम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
पेट्रोल पंप के विपरीत, नीमी नागर लाल बाघ झालरापाटन
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान- 326023

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री राम प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी .MIS कोड- PU08001681)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

आदर्श निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
वृंदावन विहार कॉलोनी अकलेरा
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को आदर्श प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000230)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Datt - Duff / 26 / 2020 - 0 / 0012 (TC) - Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सोरभ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
भारत बिहार चंद्रसल रोड
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सोरभ प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000706)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

D60 - P 1/26/2020 - 6/00012 - (10) - Ray.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

आदित्य निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
भोपाल रोड, तहसील अकलेरा, सुख विहार गेस्ट हाउस के सामने
झालावाड़, राजस्थान - 326002

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को आदित्य प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000271)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

D4F-D. 12/06/2020 - 0/0. D. R. (T. C.) Raj.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सरस्वती प्राइवेट आईटीआई,
शेखावाटी नगर, गोविंदपुरा,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 302012

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सरस्वती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001671)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

1145 D-Office/20/2020-0/0 DIR(TE) Regd.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

चौधरी हरलाल निजी आईटीआई,
ग्राम राणासर, तहसील। नवलगढ़,
जिला- झुनझुनु, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को चौधरी हरलाल निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000547)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DGT- D-off/24/2020 of D.R.(P) Reg.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

चौधरी प्राइवेट आईटीआई,
प्लॉट नं. ए 45, ए 46, ए 47 योजना 18, ए ब्लॉक,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 303007

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को चौधरी प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001624)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DBT-Deff/26/2020-5/0 PIR(TI)-Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

बाल भारती प्राइवेट आईटीआई,
वी.पी.ओ- पलवास, जिला। सीकर, राजस्थान
पिनकोड-332042


विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को बाल भारती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया
गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001618)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff-126/2020-10/0 Dir (TC) - Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

भारतीय प्राइवेट आईटीआई,
भारतीय कॉलोनी वार्ड नंबर. 20 रीन्गुस,
जिला। सीकर, राजस्थान
पिनकोड-332404


विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को भारतीय प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया
जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PU08001620)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff - De-Aff / 26/2020 - 0/001R (FC) - Raj

स्पडी पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सरस्वती प्राइवेट आईटीआई,
भाद्रजुन, जोधपुर रोड,
जिला। जालोर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सरस्वती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000829)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DBT - De-Aff / 26/2020 - 0/0DIR(7C) - Raj. स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री ओम प्राइवेट आईटीआई,
नजदीक पी.एन.बी बैंक जोधपुर रोड, बोरुन्दा
जिला। जोधपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री ओम प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000548)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DBT- 078/26/2020-0/0018 (70) Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जी.एन प्राइवेट आईटीआई,
अजीतपुरा, स्टेशन रोड, अंता,
जिला बारां, राजस्थान
पिनकोड-325202

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जी.एन प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001224)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री बलदेव राम मिर्धा प्राइवेट आईटीआई,
जोरापुरा की ढाणी के पास, गोटन रोड, मेड़ता सिटी
जिला- नागौर, राजस्थान- 341510

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री बलदेव राम मिर्धा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001092)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

संस्कार प्राइवेट आईटीआई,
तलनपुरा पोस्ट-गोटन तेह-मेड़ता
जिला- नागौर, राजस्थान- 342902

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को संस्कार प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000244)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

De-Off/26/2020-5/0 D.H. (TU) Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

राव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
घड़साना खुर्द, जिला झुंझुनर,
राजस्थान-333514

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को राव प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001130)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

1307-D-085/26/2020 - O/C DIR, IIT) Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Prince Private ITI
Village Shyopura Post Ojatoo Via-Chirawa
District Jhunjhunu, Rajasthan- 333026

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी करण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री प्रिंस प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001251)

रवि
26/6/20
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilkoti@gov.in

1367 - Draft / 28 / 2020 - 40 D.R. (3) / 10/10

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

किरण निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
गुदा, तहसील-उदयपुरवाटी
जिला झुंझुनू, राजस्थान-333022

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को किरण प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000164)

26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Def. Copy/24/2020 of D.K.(S) Reg

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

विश्वकर्मा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

शहर टोडी (गुढ़ा गोरजी)

जिला झुंझुनू राजस्थान- 333042

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001602)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DGT-D-aff/28/2020-0/0 DIR(TE) Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

पंडित गणेश नारायण प्राइवेट आई.टी.आई
खिरोड़, नवलगढ़
जिला झुंझुनू राजस्थान- 333042**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को पंडित गणेश नारायण प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000763)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DGF-D Off/26/2020-1/0 D/R(TC) Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई,
सिंघाना,
जिला- झुनझुनु, राजस्थान- 313001**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील गुप्ता(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001630)

26/6/20
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री वीर तेजा प्राइवेट आईटीआई,
एच -33, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर रोड,
जिला- नागौर, राजस्थान- 341001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री वीर तेजा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08000243)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DBT- Deff /26/2020 - O/O DIR (TC) - Reg. स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जी.टी. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
स्टेशन रोड, विपरीत मंडी गेट, अंता
बरन, राजस्थान- 325202

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जी.टी. प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी । ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001342)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण
ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DBI - D.aff / 26 / 2020 - 5 / 0 PIR (10) - Raj. स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

कान्हा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
प्लॉट नंबर 5, दयानंद कॉलोनी, पल तालाब रोड,
बरन, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को कान्हा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000358)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

महर्षि राजेश्वरानंद निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
गोपाल विहार पुलिस लाइन
जिला कोटा, राजस्थान-324001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को महर्षि राजेश्वरानंद प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001074)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

0611- D.aff/26/2020 - O/ODIR (TC) - Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मदर इंडिया प्राइवेट आई.टी.आई
प्लॉट नंबर 14, शक्तिनगर, दादाबाड़ी
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मदर इंडिया प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000483)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

अरिहंत प्राइवेट आई.टी.आई,
अरिहंत परिसर, उज्जवल विहार, बोरखेड़ा, बरन रोड
जिला कोटा, राजस्थान- 324001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को अरिहंत प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001249)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

रामा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बालाजी नगर महावीर कॉलोनी -2, भदाना से नयागांव रोड,
जिला कोटा, राजस्थान- 324002

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्र.स. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को रामा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001262)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Date - 07/06/2020 0/001K(170)-Raj.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

रामेश्वरानंद प्राइवेट आईटीआई
महावीर कॉलोनी रंगपुर रोडजिला
कोटा, राजस्थान- 324002

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को रामेश्वरानंद प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001069)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DBR - 13/1/2020/2020 (JODIR (IC) - Raj)

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सर्वोदय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईपीसी -17, रीको औद्योगिक क्षेत्र, रणपुर कोटा, तहसील लाडपुरा
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सर्वोदय प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000379)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सर्वोदय प्राइवेट आईटीआई,
महिला पुलिस स्टेशन के सामने, सूरज पोल
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सर्वोदय प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001153)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DGI - 0-0/1/2012020 - 0/001R(70) - Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Shiv Private ITI,
At. Kherli Phatak
Dist. Kota, Rajasthan**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को शिव प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000786)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सिद्धान्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ग्राम रेत्या चौकी झालावाड़ रोड, लाडपुरा
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सिद्धान्त प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ़ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000327)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Post - D/o/1/26/2020 - D/O/D/R (TS) - Reg.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

वाई.जी.एन प्राइवेट आईटीआई
अनंतपुरा सर्कल के पास भामाशाह मंडी रोड,
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्र.स. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को वाई.जी.एन प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000727)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Dot @ 4/8/2020 3/001217E) - Raj -

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मारुति निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
चिडिया टीबा जिला सीकर, राजस्थान- 332001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मारुति प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000534)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilkoti@gov.in

Dnr-12/1/2020-010012(Pr)-Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

देशबंधु निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
सेवा, जिला सीकर, राजस्थान 332041

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।
महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को देशबंधु प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000145)

रवि चिलुकोटी

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DBT Deff/20/2020 - 0/001R (70) - Ray

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

गीता प्राइवेट आईटीआई,
अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधुपुरा,
जिला। सीकर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को गीता प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया
जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000067)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

D/GA- D-0/ff/26/2020 -0/000R (10) -Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,


जे. जे प्राइवेट आईटीआई,
जुगलपुरा पी.ओ खंडेला, तहसील श्रीमाधुपुरा,
जिला। सीकर, राजस्थान
पिनकोड 332708

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जे. जे प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया
जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001288)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DBF- D-9/R/26/2020 - 4/001P(7C) - Pq

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री श्याम प्राइवेट आईटीआई,
लोसल रोड खुर, तहसील धोद,
जिला। सीकर, राजस्थान
पिनकोड 332023

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री श्याम प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया
जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

सुनील कुमार गुप्ता

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001358)

26/6/20
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff-De-Aff/26/2020 - 0/0012 (T) - Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

नवीन प्राइवेट आईटीआई,
लक्ष्मंगढ़, जिला। सीकर, राजस्थान
पिनकोड 332311

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को नवीन प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000811)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DBT- D.aff/126/2020-0/001R (TC) - Raj. स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मॉडर्न प्राइवेट आईटीआई,
ननी, जयपुर बीकानेर बाय पास रोड,
जिला। सीकर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मॉडर्न प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000206)

रवि चिलुकोटी
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: raj@chilukoti@gov.in

DBT- D-4/26/2020 . 0/0000170 - Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री राम प्राइवेट आईटीआई,
खाटू श्याम जी, तहसील- दंता रामगढ,
जिला। सीकर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री राम प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय निर्धारित संस्थान भवन
में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र
की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000228)

26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Deff- 04/28/2020 - 0/0018 (77) - Raf.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सरस्वती प्राइवेट आईटीआई,
सेवाद बरी, सालासर रोड,
जिला। सीकर, राजस्थान


विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स के डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सरस्वती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया
जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000267)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

260 - D 4/26/2020 - 0/0000 (7C) - Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

गोविन्दम प्राइवेट आईटीआई,
नजदीक NH-11 और केंद्रीय विधियालय सबलपुर,
जिला। सीकर, राजस्थान
पिनकोड-332001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को गोविन्दम प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000270)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DAF-10-01/19/2020-1/00 DAF(T)R/19

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

एकता प्राइवेट आईटीआई,
गुढ़ा रोड, उदयपुरवाटी,
जिला- झुनझुनु, राजस्थान- 333307

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को एकता प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000665)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DIT D-aff/26/2020-9/0 DIR(TE) Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

फागी प्राइवेट आईटीआई,
दिगिमालपुरा रोड, वी / पी-हरसूलिया,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 303904**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को फागी प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001656)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.cnilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्रीमती भंवरी देवी निजी आईटीआई,
किशनगढ़ रेनवाल, द। फुलेरा,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 303608

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्रीमती भंवरी देवी निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000456)


26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

थानागाज़े प्राइवेट आईटीआई,
प्रतापगढ़ रोड, थानागाज़ी,
जिला- अलवर, राजस्थान- 301406

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को थानागाज़े प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000137)

रवि
26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

(49)

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जयमान प्राइवेट आईटीआई,
सोडाला,
जिला- जयपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जयमान प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000914)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DGT-0 08/26/2020 9/6 PM (0) Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

48

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

प्रेम प्राइवेट आईटीआई,
ई -354, रोड, NO-14-J, V.K.I क्षेत्र,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 302013

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को प्रेम प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001220)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

देव प्राइवेट आईटीआई,
336-ए, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 302022

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को देव प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001165)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff/26/2020 4/0 HOK(10) RA

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

आरजू प्राइवेट आईटीआई,
ओल्ड रोड, धूलेश्वर कॉलोनी, मनोहरपुर,
जिला- जयपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को आरजू प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000865)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,
मोहम्मदी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
पुराना डाकघर रोड
जिला कोटा, राजस्थान-324002

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मोहम्मदी प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एमिस कोड- PR08000462)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

05/11-12-2019 / 26/2020 A/C.DIR(TN)-Ray

स्पीड पोस्ट द्वारा

124

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मोहम्मदी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
रंगपुर मेन रोड, तहसील. लादपुरा
जिला कोटा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मोहम्मदी प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000556)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

Deff. Doff. 26/2020-010 BIR/TC/Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

राजस्थान प्राइवेट आईटीआई,
रेलवे स्टेशन रोड, धानी डालमिया चिरवा,
जिला- झुनझुनु, राजस्थान- 333026**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को राजस्थान प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000685)

26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

राजस्थान प्राइवेट आईटीआई,
मेन रोड, गोटन
जिला- नागौर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को राजस्थान प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000658)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Deff- 12/1/2020 - 1/0011 (7)

Reg.

स्पीड पोस्ट द्वारा

92

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

राजस्थान प्राइवेट आईटीआई,
वी.पी.ओ-खिर्वा, जिला। सीकर, राजस्थान
पिनकोड 332311

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को राजस्थान प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये एवं निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001658)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DGT-D aff/26/2020 वी. चि. (गु.)

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

यूनिवर्सल प्राइवेट आईटीआई,
ओपोसिट स्टड फार्म, हीरापुर रोड, मन्जी रेनवाल,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 303904

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बंधाओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को यूनिवर्सल प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001704)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DBT - Deff / 26/2020 - 0/ODIR (TC) - Raj,

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Manu Oxford Private Industrial Training Institute
Chelasi Road, Mahobatsar, Nawalgarh
Dist. Jhunjhunu, Rajasthan-333042

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को Manu Oxford प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000202)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

शेखावाती प्राइवेट आईटीआई
इंडलोद तहसील नवलगढ़ झालावाड़,
जिला झुंझुनू, राजस्थान-333702

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स के डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को शेखावाती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000420)



(रवि चिलुकोटी)

सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

D/PT- D-2/11/26/2020-0/ODIR (Te) - Raj.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Varah Mihir Private Industrial Training Institute Bagar
Opp. Shastri Secondary School Bagar
Dist. Jhunjhunu, Rajasthan-333023

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को Varah Mihir प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान यथा स्थान नहीं पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001030)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल:- ravi.chilukoti@gov.in

Date 04/06/2020 - 0/0018 (TC) - Reg.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सैनिक प्राइवेट आईटीआई
मणिनगर, नगरपरिषद के विपरीत,
जिला झुंझुनूर, राजस्थान-333001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सैनिक प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान भवन में अन्य गतिविधिया का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08001741)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Date - De-Aff / 26/06/2020 - 0/0012 (TC) - Ruj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

अन्नपूर्णा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
बालाजी नगर, गाँव मावंडा, तहसील नीम का थाना
जिला सीकर, राजस्थान**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को अन्नपूर्णा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान भवन में अन्य गतिविधिया का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000339)

26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DWT - D. 2/2 (26/2020 - 10/00UR(FC) - Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

Prince Academy of Higher Education Private ITI
Vill. Nani, Khasra No. 965, Palwas Road,
District- Sikar, Rajasthan- 332001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बां में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001266)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

D/GAT-0-26/2020-0/00012(100) - Raj


भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री रघुनाथ प्राइवेट आईटीआई
स्ट्रीट-नावा रोड, टाउन-दांता रामगढ़,
जिला सीकर, राजस्थान- 332703**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**
महोदयसंचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री रघुनाथ प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ़
तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र
की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन
हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा
कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001280)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilkoti@gov.in

DOP - Deff/26/2020 - 0/0010/TC) - Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

जमना देवी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
सीकर चौधरी चरण सिंह गेट, नयाल गढ़ रोड
जिला सीकर, राजस्थान**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को जमना देवी प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000338)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

भवानी निकेतन निजी आईटीआई,
कृषि उपज मंडी के पीछे, बसंत विहार
जिला सीकर, राजस्थान- 332001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को भवानी निकेतन आईटीआई में निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08001721)


26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

①

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

महेश प्राइवेट आईटीआई,
विपरीत BSNL कार्यालय नेहरू रोड
जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को महेश प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000408)


26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

2

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

पद्मावती प्राइवेट आईटीआई,
भीलवाड़ा बूंदी रोड, बिजोलिया
जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को पद्मावती प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000133)


26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

4

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

बी.के. बिड़ला प्राइवेट आईटीआई,
शाकंभरी मंदिर के पास, स्टेशन रोड कुचामन सिटी
जिला- नागौर, राजस्थान- 341508

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को बी.के. बिड़ला प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001229)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

5

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

बी.आर. खोखर प्राइवेट आईटीआई,
डीडवाना रोड, मेघा हाइवे राणासर बस स्टैंड
कुचामन सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को बी.आर. खोखर प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय निरीक्षण करवाने से मन किया गया, समस्त स्टाफ तथा प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये एवं निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया । जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000583)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

बी.आर. मिर्धा प्राइवेट आईटीआई,
डीडवाना रोड, मौलासर
जिला- नागौर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को बी.आर. मिर्धा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया एवं निर्धारित संस्थान भवन में अन्य गतिविधियों का संचालन पाया गया । जिसके लिए डी-एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001240)

रवि चिलुकोटी

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

2

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

B.S.R. प्राइवेट आईटीआई,
मेड़ता-जैतारण, मेन रोड, जासनगर,
तहसील मेड़ता सिटी, जिला- नागौर,
राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को B.S.R. प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.मिस कोड- PR08000353)

26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

8

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

गायत्री प्राइवेट आईटीआई,
स्टेशन रोड, डीडवाना
जिला- नागौर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओं नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को गायत्री प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000218)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

कुचामन प्राइवेट आईटीआई,
जशोल नगर, धरम कांटा के पास,
स्टेशन रोड, कुचामन सिटी
जिला- नागौर, राजस्थान- 341508

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को कुचामन प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000507)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

10

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मंजू देवी मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई,
लुनवा, वाया-नावा
जिला- नागौर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी-एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मंजू देवी मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी-एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000695)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in



भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मेगा प्राइवेट आईटीआई,
मेगा हाईवे लाइन रोड, गांव बडेला
जिला- नागौर, राजस्थान- 341306

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मेगा प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.मिस कोड- PR08000350)

26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.cnilukoti@gov.in

12

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

नवीन विद्यापीठ प्राइवेट आईटीआई,
निम्बिजोधा, लाडनू
जिला- नागौर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को नवीन विद्यापीठ प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000250)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

निश्काम प्राइवेट आईटीआई,
निम्बिजोधा, सुभाष नागग, मकराना,
जिला- नागौर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को निश्काम प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000227)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff-26/2020-0/0 DIR(K) Kaj

स्पीड पोस्ट द्वारा



भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री कृष्ण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
पता गोविंदगढ़ तेह। चोम्
जिला-जयपुर, राजस्थान-303,712

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।
महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री कृष्ण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड PR08000845)

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DGT-De-Aff/26/2020-10 D.K. (T) Koj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

59

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री बजरंग निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ,
पता ग्राम महार कलां,
जिला जयपुर, राजस्थान
पिनकोड 303,806**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री बजरंग निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षण के समय सभी कर्मचारी और छात्र अनुपस्थित नहीं हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड PR08001606)

(रवि चिलुकुटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DGT-D-aff/26/2020-1/0 (In K. J. J.)

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

भारती प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट ,
पता Vpo Kanwapura, तहसील कोटपूतली ,
जिला जयपुर, राजस्थान-303,108

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को भारती प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड PR08001405)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff/26/2020-4/0 VTR(TE) Raj.

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

विनायक राज निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
पता 160 स्वरूप विहार जगतपुरा,
जिला जयपुर, राजस्थान-302,034

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को विनायक राज निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षण के समय संस्थान तथा स्थान नहीं पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU08001336)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

न्यू जयमन प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
पता 1213, जमुना डेयरी, अजमेर रोड,
जिला जयपुर राज्य राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन व अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को न्यू जयमन प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम. कोड- PR08000140)


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff/26/2020 D/O DIR(TE) Kuj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मॉडर्न निजी औद्योगिक प्रशिक्षण,
पता सेक्टर -10, मालवीय नगर,
जिला जयपुर राज्य राजस्थान
पिनकोड 302,017

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/
2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मॉडर्न निजी औद्योगिक प्रशिक्षण में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया
गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020
तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि
आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम. कोड- PR08000682)

26/6/2020

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

DGT- De-Aff./26/2020 - O/o DTR (T) Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निजी औद्योगिक प्रशिक्षण ,
पता सी -46, सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र सहकार मार्ग ,
जिला जयपुर , राजस्थान-302,006

विषय आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निजी औद्योगिक प्रशिक्षण में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001043)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

De-Aff-100/26/2020-0/0 (P.R.) Raji.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

श्री नवीन निजी आईटीआई,
पता 106/11, रेलवे ब्रिज पेट्रोल पंप के पास, सीतापुरा,
जिला जयपुर राज्य राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को श्री नवीन निजी आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान नहीं पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000303)


26/6/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DET 0-01/2020 o/o DIR, (T) Raj.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई,
वार्ड नंबर -30, रिंगस रोड, चोमू
जिला- जयपुर, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000639)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

DGT-Office/26/2020-0/DIR(R)Raj

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

कुक्स प्राइवेट आईटीआई,
मोदी गार्डन द आमेर कुक्स के पीछे,
जिला- जयपुर, राजस्थान**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स का डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।**

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औ.प्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को कुक्स प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय **संस्थान बंद पाया गया** जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000013)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

R.I. Draft/26/2020 - 0/6 (10/11/20)

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

भगत सिंह प्राइवेट आईटीआई,
मंडावर रोड महावा,
जिला- दौसा, राजस्थान

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को भगत सिंह प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000424)



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in

Out-Office/35/2020 J.C. Durrani Raj

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.06.2020

सेवा में,

सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईटीआई,
सेक्टर 10 मीरा मार्ग न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर,
जिला- जयपुर, राजस्थान- 302020

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय


संचालक, कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा.औप्रस. / De-Aff/ 2019/25168 दिनांक 05.06.2020 को सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण के समय संस्थान तथा स्थान बंद पाया गया जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (13.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल: sunil.gupta67@nic.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000024)


(रवि चिलुकोटी)

सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ई-मेल-: ravi.chilukoti@gov.in